न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 552 सन 2018

अनवान :–

1. सुनीता रानी पत्नि सुनील जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. सुनील पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैक शाखा फेफाना तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 28/12/2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 14/12 के कुल किता 21 की 4.31435हैक व रोही मौजा चक 5 केएनएन के खाता संख्या 10/9 की 5.3110हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 सुनील के नाम से दर्ज हे वाद भूमि पूर्व में वादीया के ससुर एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो पति पत्नि है जिनके मध्य आपसी सहमति से परिवारिक समझौता किया गया था जिसमें रोही मौजा चक 5 बी बारीन के खाता संख्या 14/12 की कुल 4.31435हैक भूमि वादीया को प्राप्त हुई थी जिसे प्रतिवादीया काश्त करती आ रही है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादीया के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में उसके पिता इन्द्राज के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीया का पति है के नाम से दर्ज हुई है तथा वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 के साथ परिवारिक समझौता होने के पर रोही मौजा चक 5 बी बारनी के भूमि वादीया को प्राप्त हुई है एवं वादीया के कब्जा काश्त में चली आ रही हे जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में उसके पिता के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

क्रमशः 2

Sunita

तथा वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनो एक ही परिवार के सदस्य अर्थात पति पत्नि है वादीया का कथन है कि वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 का आपसी सहमति से परिवारिक समझौता होने पर वाद भूमि वादीया को प्राप्त हुई है जिसे वह काश्त कर अपना गुजारा करती आ रही है वादीया के कथन को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 के समझौता में वाद भूमि वादीया को प्राप्त हुई है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही हे व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा भी पेश किया जा चुका है । इसप्रकार वादीया के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 14/12 की 4.31435हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है को कलमजन कर वादीया खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 20/12/18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

SAZaidi

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Web Copy - Not Official

Sunita